न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 55/2021
निर्णय दिनांक : 08.09.2021

1. श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय आयु 52 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नगरियावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार , तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिए आयुक्त इन्दिरा सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर राजस्थान
3. बद्रीनारायण दत्तक पुत्र श्री कल्याण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी के पिता कल्याण सहाय पुत्र श्री रामलाल के खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1468/3333 रकबा 0.0400 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1469 रकबा 1.2300 हैक्टेयर ग्राम सिरोली पटवार हल्का दांतली, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिस पर प्रार्थी अपने पिता के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है एवं प्रार्थी की भूमि के दोनो खसरा एक दूसरे से लगवा है। प्रार्थी के पिता कल्याण पुत्र श्री रामलाल का दिनांक 10/05/2014 को बमकाम जयपुर में देहान्त हो चुका है एवं उपरोक्त भूमि की खातेदारी वर्तमान में भी प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है जिसकी जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी के पिता के पश्चात प्रार्थी के स्वामित्व की उपरोक्त भूमि के चारो ओर की भूमियॉ अवाप्त होती चली आ रही है जिससे प्रार्थी की भूमि के चारो ओर विद्यमान खसरा नम्बरान के भूमि धारियों द्वारा प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हैं एवं प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी स्वयं के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1468/3333 व खसरा नम्बर 1469 की माफिक रिकार्ड पत्थरगढी करवाना चाहता है जिसका प्रार्थी विधिक रूप से अधिकारी है। प्रार्थी अपने स्वामित्व की भूमि की पत्थरगढी करने में लगने वाला सम्पूर्ण व्यय माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अदा करने के लिए तैयार व तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 1 लैण्ड रिकार्ड होल्डर है एवं मौके पर उपस्थित रहकर पत्थरगढी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए सक्षम प्राधिकारी है एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थी की भूमि से लगती हुई भूमियो के स्वामित्वाधिकारी है जिस कारण उन्हे उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है जिससे माननीय न्यायालय को समुचित प्रतीत होने पर अप्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की उपस्थिति में उक्त कार्यवाही करने बाबत आदेशित किया जा सके। अन्य आदेश जो भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया जावेगा उसकी पालना प्रार्थी आवश्यक रूप से करेगा एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से किसी भी पक्षकार को प्रीज्यूडियस कारित नही होती है। प्रार्थी को अपनी भूमि के आस पड़ौस के खसरा नम्बरान के भूमि धारियों द्वारा कब्जे का अन्देशा होने पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का काज उत्पन्न हुआ है। तथा माननीय न्यायालय को प्रकरण का श्रवण एवं निर्णय प्रभूता प्राप्त है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पिता द्वारा छोडी गई उसके स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 1468/3333 व खसरा नम्बर 1469 की नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 20.07.2021 वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश पारीक ने यू0टी0 दी। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नमन पारीक ने वकालतनामा मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब में कहा कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अंकित समस्त कथन स्वीकार है। तथा पत्थरगढी पर सहमति प्रदान की है एवं साथ ही अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी भूमि खसरा नम्बंर 1473, 1474 का भी सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 3 की खातेदारी भूमि वाके ग्राम सिरोली, पटवार हल्का दांतली त0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी के खसरा नम्बर 1468/3333, 1469 एवं अप्रार्थी सख्या 3 के खसरा नम्बरान 1473, 1474 का तह0 सांगानेर की फर्द मौका सीमाज्ञान –रिपोर्ट आदेश दिनांक 06.08.2021 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.9.21

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:54 IST
Reason: SelfAttested